रजिस्ट्रेशन संख्या :– R.N.I. 36355/79
डाक पंजीकरण संख्या :– के० पी० सिटी –67/2024–26

चिकित्सा–विज्ञान और प्रौद्योगिक जगत में
सर्वाधिक प्रकाशित होने वाला निषपक्ष समाचार पत्र

पाक्षिक

इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट

अधिकार किसको जानने के लिए भारत सरकार की वेबसाइट www.dhr.gov.in लॉगिन कर क्लिक करें अल्टरनेटिव मेडिसिन तथा गज़ट पढ़ने हेतु log in करें www.behm.org.in

पत्र व्यवहार हेतु पता :–
सम्पादक
इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट
127/204 'एस' जूही, कानपुर–208014
सम्पर्क सूत्र :– 9450153215 , 9415074806 , 9415486103

वर्ष – 46 ● अंक – 11 ● कानपुर 1 से 15 जून 2024 ● प्रधान सम्पादक – डा० एम० एच० इदरीसी ● वार्षिक मूल्य ₹ 100

क्या मान्यता का प्रपोज़ल अपने अंतिम पड़ाव पर आ रहा है ?

इलेक्ट्रो होम्योपैथी बनी गले की फांस

अन्तर विभागीय कमेटी बे वजह लटकाये है मामला

21 जून 2011 ही करेगा इलेक्ट्रो होम्योपैथी का बेड़ा पार

16 मई, 2024 को उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ बेन्च के आदेश आने के पश्चात इलेक्ट्रो होम्योपैथी की दुनिया में एक भूचाल सा आ गया जो लोग के सन्दर्भ में 2017 से चली आ रही गहमा–गहमी एक दम से समाप्त हो गई, दावों और वादों का तिलिस्म आखिर टूट ही गया, चौबिसों घण्टे जो नेतागण सोशल–मीडिया पर चमकते रहते थे अनायास उनकी चमक फीकी पड़ गई, माला पहनने का दौर फिलहाल रुक सा गया है, लगता है कि यह सब इतनी जल्दी में हुआ कि लोगों के पास कुछ भी कहने को कोई शब्द नहीं हैं, यह विडम्बना ही है कि कल तक जो लोग जिस संगठन का मज़ाक उड़ाया करते थे वही संगठन आज सबसे मज़बूती के साथ खड़ा हुआ है और इस बात के प्रति आश्वस्त भी है कि इसी संगठन के लिये जारी आदेश 21 जून, 2011 जो कल भी प्रभावी था और आज भी प्रभावी है और आने वाले समय में यही आदेश इलेक्ट्रो होम्योपैथों के लिये वरदान साबित होगा।

इस आदेश के आने के बाद प्रकृति भी इस बात का बार–बार संदेश दे रही है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के साथियों अब भी संभल जाओ अलग–अलग राग अलापने की जगह एकता का सुर गाओ और जो नियम के अन्दर होना चाहिये वही करो।

हम बार–बार यह कहते रहे कि भारत सरकार ने जिन प्रतिबंधों के साथ इलेक्ट्रो होम्योपैथी को संचालित होते रहने की अनुमति दी है उसकी अनदेखी नहीं होनी चाहिये, लोगों को बैचलर, मास्टर एवं डाक्टर शब्द से इतना मोह था कि वह इस मोह जाल से अलग नहीं हो सके और अन्ततः इसी बैचलर, मास्टर एवं डिपलोमा शब्द ने बेड़ा ही गर्क कर दिया, अब भी समय है कि बीती ताहि बिसार दे! आगे की सुधि ले!! की भावना से ओत–प्रोत होकर भविष्य की योजना बनायें, जब तक मन मे यह भाव रहेगा कि हम बड़े हैं वह छोटा है, हम बुद्धिमान हैं वह मूर्ख, तब–तक किसी का भी कल्याण नहीं होगा।

जब सरकार ने बैचलर और मास्टर डिग्री एवं डिपलोमा शब्द पर प्रतिबन्ध लगा रखा है तब ऐसे शब्दों का प्रयोग करके हम सरकार को आखिर बताना क्या चाहते हैं ? यह तो हमारे साथी भाग्यशाली हैं इनके विरुद्ध कोर्ट एवं सरकार ने कोई कार्यवाही करने का आदेश नहीं दिया, कोई माने या ना माने पर यह कटु सत्य है कि भारत सरकार के अधिकारियों का विचार अभी भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिये सकारात्मक है।

देश के लाखों इलेक्ट्रो होम्योपैथों जिन्होंने हर परिस्थितियों में इलेक्ट्रो होम्योपैथी का साथ दिया, आपको याद होगा कि I.D.C. ने भी अभी कुछ दिनो पहले ही कहा था कि भारत सरकार का स्टैण्ड अभी भी 21 जून, 2011 के निर्गत आदेश के ही अनुरुप है, उनका यह कथन समूची इलेक्ट्रो होम्योपैथी को न केवल ऊर्जा देता है अपितु गति भी प्रदान कर रहा है।

सरकार के इस कथन से इलेक्ट्रो होम्योपैथी और भी मज़बूत हो गयी है।

आज देश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी यदि ज़िन्दा है तो उसके पीछे इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया के लिये भारत सरकार द्वारा 21 जून, 2011 को पारित आदेश ही है।

Dr. शब्द

Dr. शब्द का प्रयोग प्रायः एलोपैथिक चिकित्सक अधिकार पूर्वक करते आ रहे हैं वैसे तो लोगों का अलग अलग तर्क है कि Dr. शब्द का प्रयोग PhD वाले ही कर सकते हैं कुछ जानकारों का कहना है कि D.Litt वाले भी कर सकते हैं वर्तमान में Dr. का सन्दर्भ माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्णय से सम्बन्धित है, जो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के लिए किया गया है Dr. शब्द के प्रयोग पर पूरे देश में उहापोह की स्थिति हो गयी है लोग तरह तरह के तर्क दे रहे हैं जबकि यह पूर्णतयः स्पष्ट है कि Dr. शब्द का प्रयोग केवल चिकित्सा व्यवसायी ही करते हैं, यद्यपि PhD/D.Litt उच्च उपाधिधारी प्रायः शिक्षक होते हैं जो शिक्षा एवं अनुसंधान के विभिन्न क्षेत्रों में देखे जा सकते हैं।

इलेक्ट्रो होम्योपैथी में Dr. शब्द पर इतना द्वन्द इसलिए हो रहा है कि भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय ने दिनांक 25 नवम्बर, 2003 को एक आदेश जारी कर एलोपैथी से भिन्न चिकित्सकों को भी Dr. लिखने का आदेश जारी किया था जिसके कारण एलोपैथों के अधिकारों में अतिक्रमण हो गया, यद्यपि 25 नवम्बर, 2003 का आदेश गैर मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियों को मान्यता देने के उद्देश्य से गठित की गयी समिति की संस्तुतियों के आधार पर जारी किया गया था, जिसका सन्दर्भ इस प्रकार है –

माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 18–11–1998 में इस पर विचार किया गया कि " गैर मान्यता प्राप्त " विधाओं को नियन्त्रित एवं विनियमित करने के उद्देश्य से वर्तमान एवं नवीन संस्थानों इत्यादि को लाइसेन्स प्रदान करने हेतु विधान बनाने पर विचार करने तथा " प्रतिवादियों " एवं सरकार द्वारा प्रदान नहीं किये जा रहे और किसी भी परिषद से सम्बद्ध न हुए ऐसे ही संस्थानों के बारे में मीडिया के माध्यम से लोगों को सूचित करते हुए पर्याप्त प्रचार–प्रसार करने का भी निर्देश दिया गया है।

वैकल्पिक चिकित्सा की विभिन्न शाखाओं की प्रभावोत्पादकता/गुणों पर विचार करने तथा सरकार को इसकी सिफारिशें देने एवं माननीय न्यायालय द्वारा सुझाये गये अनुसार विधान बनाने की व्यवहार्यता की भी जांच करने हेतु सरकार ने महानिदेशक, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) की अध्यक्षता में " विशेषज्ञों की स्थायी समिति " गठित की और चिकित्सा के विभिन्न क्षेत्रों के सदस्य शामिल किये गये।

समिति ने चिकित्सा की एक नई शाखा को मान्यता प्रदान करने के लिए अनिवार्य एवं वांछनीय मानदण्ड तैयार किये और वैकल्पिक चिकित्सा की विभिन्न शाखाओं अर्थात आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी, होम्योपैथी, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, इलेक्ट्रोपैथी/इलेक्ट्रो होम्योपैथी, एक्यूपंक्चर, मैग्नेटोथिरेपी, रिकी, रेफ्लेक्सोलाजी, यूरिन थिरेपी/ऑटोरिन थिरेपी, हिप्नोथिरेपी, एरोमाथिरेपी , कलर थिरेपी, प्रैनिक हीलिंग, जेम्स एवं स्टोन थिरेपी तथा म्युजिक थिरेपी का विश्लेषण किया।

समिति ने पहले से मान्यता प्राप्त परम्परागत चिकित्सा पद्धतियों अर्थात आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी, होम्योपैथी, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा को छोड़कर जिन्हें चिकित्सा पद्धति को मान्यता देने हेतु समिति द्वारा विकसित किये गये आवश्यक एवं वाछनीय मापदण्डों को पूरा करते हुए पाया गया इनके अतिरिक्त अन्य किसी को वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति की मान्यता प्रदान करने की सिफारिश नहीं की तथापि समिति ने सिफारिश की है कि एक्यूंपक्चर और हिप्नोथिरेपी के रूप में कुछ व्यवसायों जिन्होंने थिरेपी की विधियों के रूप में अर्हता प्राप्त की, को पंजीकृत व्यवसायियों अथवा उपयुक्त रूप से प्रशिक्षित कार्मिकों द्वारा करने की अनुमति दी जा सकती है समिति ने आगे सुझाव दिया कि वे सभी चिकित्सा पद्धतियों जिन्हें अलग पद्धतियों के रूप में मान्यता नहीं दी गयी है को पूर्णकालिक स्नातक और मास्टर की उपाधि के पाठ्यक्रमों को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये और " डाक्टर " शब्द का प्रयोग केवल भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियों के व्यवसायियों द्वारा ही किया जाना चाहिये, जिन्हें थिरेपी की विधियां समझा जाता है उन्हें अपने व्यवसाय में थिरेपी की इन विधियों को अपनाने के लिए पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायियों, चाहे वे आधुनिक चिकित्सा के हों अथवा भारतीय चिकित्सा पद्धति एंव होम्योपैथी के हों, के लिए प्रमाण पत्र पाठ्यक्रमों के रूप में किया जा सकता है।

भारत सरकार द्वारा 25 नवम्बर 2003 के इस आदेश ने एलोपैथों के एकाधिकार को समाप्त कर दिया, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने Registered Medical Practitioner (Professional Conduct) Regulations, 2022 में स्वीकार कर लिया है अपने रियुलेशन 4 में – Prefix, Suffix and Modern Medicine:

(A) only those RMPs who are registered under NMC Act, 2019 can use Medical Doctor (Med Dr.) as a prefix before their names.

इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों को भी अपनी पहचान Med Dr. की तरह स्पष्ट रुप से प्रदर्शित करने की आवश्यकता है।

परीक्षा सूचना

बोर्ड ऑफ् इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 की जून 2024 की सेमेस्टर परीक्षायें 26 जून, 2024 से प्रारम्भ होंगी, कार्यक्रम निम्न प्रकार है :–

BOARD OF ELECTRO HOMOEOPATHIC MEDICINE,U.P.

8-Lal Bagh, Kamla Sharma Marg, Lucknow-226001 E-mail registrarbehmup@gmail.com

PROGRAMME FOR EXAMINATION JUNE 2024

Name of the course	26th June, 2024 Wednesday	27th June, 2024 Thursday	28th June, 2024 Friday
F.M.E.H. 1st. Semester	Anatomy & Physiology	Pharmacy &Philosophy	XX
F.M.E.H. 2nd. Semester	Pathology	Hygiene & Health	Environmental Science
F.M.E.H. 3rd. Semester	Ophthalmology including E.N.T.	M.Jurisprudence & Toxicology	Dietetics
F.M.E.H. Final Semester	Obstetrics & Gynecology	Materia Medica	Practice of Medicine

Timing → 8:00 A.M. to 11:00 A.M.

Ateeq Ahmad
Examination Incharge

नहीं रहे डा0 अमित राघव

बुलन्दशहर– खुर्जा में 90 के दशक में के0 ई0 एच0 मेडिकल कालेज खुर्जा, बुलन्दशहर के नाम से एक इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल कालेज खुर्जा तहसील में संचलित हुआ करता था जो बोर्ड ऑफ् इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 से सम्बद्ध था उस समय का यह एक प्रसिद्ध कालेज हुआ करता था इस कालेज के प्राचार्य EH डा0 पी0 के0 राघव हुआ करते थे समय का चक्र ऐसा घूमा कि के0 ई0 एच0 मेडिकल कालेज खुर्जा, किन्ही अपरिहार्य कारणों से बन्द हो गया।

दिनांक 11 मई, 2024 दिन शनिवार को अचानक EH डॉ0 अमित कुमार राघव ने यह निरमोही संसार को अलविदा कह दिया, ज्ञातव्य हो कि श्री अमित कुमार राघव EH डा0 पी0 के राघव के अनुज थे।

EH डा0 अमित राघव एक वरिष्ठ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक थे यह सूचना जैसे ही बोर्ड ऑफ् इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के प्रशासनिक कार्यालय आयी सभी स्टाफ् स्तब्द सा रह गया, कार्यालय में एक अकास्मिक बैठक बुलायी गयी, एक शोक सभा का आयोजन हुआ एवं मृत आत्मा की शान्ति के लिये प्रार्थना की गयी।

EH डा0 अमित राघव का जीवनकाल बहुत अल्प समय के लिये था, उन्होंने अपने जीवन काल में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के उत्थान लिये अनेक कार्य किये, वे बड़े ही भावुक प्रकृति के भी थे जब वे क्लीनिक किया करते थे तो गरीब, यदि फीस या दवा के पैसे कम होने की बात बताता तो वह रोगी से अपने पैसे तो लेते ही नहीं थे वरन उसे अपने पास से कुछ आर्थिक मद भी कर देते थे, EH डा0 अमित राघव अपने पीछे अपनी पत्नी सोनी, तथा दो पुत्र क्रमशः अंकित एवं ललित को छोड़ गये हैं, संकट की इस घड़ी में बोर्ड ऑफ् इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन परिवार परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि इस दुःखी परिवार को असहज दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे तथा मृत आत्मा को शान्ति प्राप्त हो।

स्मृति शेष श्री अमित कुमार राघव

क्या आप चिकित्सक बनना चाहते हैं ? प्रतिस्पर्धा की होड़ से बचें ! मँहगी डोनेशनयुक्त मेडिकल शिक्षा लेने में असमर्थ हैं !

तो

इलेक्ट्रो होम्योपैथी विकल्प है भारत सरकार के आदेश संख्या

C.30011/22/2010-HR

व

उ0प्र0 शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या 2914/पांच–6–10–23 रिट/11

एवं

2 सितम्बर 2013 को क्रियान्वित आदेश के अनुसार प्रदेश में विधि सम्मत ढंग से स्थापित

बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों

क्रमशः

F.M.E.H. अवधि 2 वर्ष (4 सेमेस्टर)
अर्हता 10 + 2 उत्तीर्ण

C.E.H. अवधि 2 वर्ष
इलेक्ट्रो होम्योपैथिक कम्पाउन्डर/फार्मेसिस्ट अर्हता 10वीं पास

G.E.H.S. अवधि 4+1 वर्ष
अर्हता 10 + 2 P.C.B.

P.G.E.H. अवधि 2 वर्ष
अर्हता G.E.H.S. अथवा किसी भी मेडिकल स्ट्रीम में डिग्री परीक्षा उत्तीर्ण

A.C.E.H. अवधि 1 सेमेस्टर
अर्हता किसी भी राज्य परिषद द्वारा पंजीकृत चिकित्सक/2 वर्षीय मेडिकल अथवा पैरा मेडिकल पाठयक्रम उत्तीर्ण

में प्रवेश लेकर

अधिकारिक चिकित्सक बनकर देश व समाज को चिकित्सा के क्षेत्र में अपना योगदान दें

विस्तृत जानकारी हेतु

बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रों होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 की वेबसाइट www.behm.org.in पर **visit** करें कोई समस्या हो तो निम्न हेल्प लाइन नम्बरों से सहायता लें:–

9415074806, 7081624593, 9450153215, 7317590784, 884055156

List of Medical Institutes/Institute

Sr.	Code	Name	District	Principle & Mob.No.
1	01	Ashish Electro Homoeopathic Medical Institute	RAIBARELY	EH Dr. P. N. Kushwaha 9415177119
2	03	Awadh Electro Homoeopathic Medical Institute	LUCKNOW	Dr. Ashutosh Kapoor 7007592773 , 9125720111
3	05	Bhagwan Mahaveer Electro Homoeopathic Institute	JAUNPUR	EH Dr. P. K. Maurya 9451162709
4	06	Maa Sarju Devi Electro Homoeopathic Medical Institute	LAKHIMPUR	EH Dr. R.K. Sharma 9454236971
5	11	Chand Par Electro Homoeopathic Medical Institute	AZAMGARH	EH Dr. Mushtaq Ahmad 9415358163
6	13	Azad Electro Homoeopathic Medical Institute, Kintoor	BARABANKI	EH Dr. Habib-ur-Rehman 8574239344
7	15	Electro Homoeopathic Medical Institute	SHAHJAHANPUR	EH Dr. Ammar-Bin-Sabir 9336034277
8	16	Shahganj Electro Homoeopathic Medical Institute	Shahganj JAUNPUR	EH Dr. S. N. Rai 9450088327
9	17	Prema Devi Electro Homoeopathic Medical Institute	SIDDHARTH NAGAR	Dr.Ved Prakash Srivastav 9936022029

List of Study Centres

Sr.	Code	Name	District	Principle & Mob.No.
10	51	Fatehpur E.H. Study Centre	FATEHPUR	EH Dr. Vakeel Ahmad 8115210751
12	52	Deoria E.H. Study Centre	DEORIA	EH Dr. P. K. Srivastav 9415826491
13	53	Bahraich E.H. Study Centre	BAHRAICH	Dr. Bhoop Raj. Srivastav 9451786214
14	54	Unnao E.H. Study Centre	UNNAO	EH Dr. Gaurav Dwivedi 9935332052
15	55	Walidpur E.H. Study Centre	Walidpur MAU	EH Dr. Ayaz Ahmad 9305963908
16	56	Aarti E.H. Study Centre	JALAUN	EH Dr. Gaya Prasad 8874429538
17	57	B.K. E.H. Study Centre	HAMIRPUR (U.P.)	EH Dr. N.B.Nigam 7007352458
18	58	Electro Homoeopathic Study Centre	Hasanganj UNNAO	Hakim Mohd. Rashid Hayat 9005680843
19	59	Sirsaganj E.H. Study Centre	Sirsaganj FIROZABAD	EH Dr. Mohd. Israr Khan 9634503421
20	60	Etawah E.H. Study Centre	ETAWAH	EH Dr. Mohd. Akhlak Khan 7417775346
21	61	Firozabad E.H. Study Centre	FIROZABAD	EH Dr. Shiv Kumar Pal 9027342885
22	62	D.L.M.M. Study Centre of E.H.	MAHARAJGANJ	EH Dr. Prince Srivasta 7398941680
23	63	Kushwaha E.H. Study Centre	KANPUR	EH Dr. Ram Autar Kushwaha 9793264649

AUTHORISED STUDY CENTRES OF OTHER STATES

Sr.	Code	Head of Centre	Address	District
22	81	EH Dr. Devendra Singh Mobile No 9818120565	374/4 Shaheed Bhagat Singh Colony, Karawal Nagar	DELHI-110090
23	82	EH Dr. Abdul Rahman Khan Mobile No 8000241542	12/1891 Ground Floor, Shop No: 3, Honey Park Apartment, Saiyed Wada, Shahpore	SURAT-395003

LIST OF AUTHRISED EXAMINATION CENTRES

Sr.	Code	Name of Examination Centre	Address	Name of Supdt. & Mobile No.
24	91	Khurja E.H. Examination Centre	Kurja , BULAND SHAHAR	EH Dr. P. K. Raghav 7505186156
25	92	E.H. Examination Centre,Moradabad	MORADABAD	EH Dr. S.K. Saxena 8171869605
26	94	E.H. Examination Centre	B.E.H.M.UP. KANPUR	Registrar B.H.M.U.P 0512-2970704

Registrar
B.E.H.M.,U.P.

बी0 ई0 एच0 एम0 के लिए डा0 अतीक अहमद द्वारा गजट प्रेस 126 टी/22 'ए' रामलाल का तालाब, जूही, कानपुर–208014 से मुद्रित एवं मिथलेश कुमार मिश्रा द्वारा कम्प्यूटराइज्ड करा कर 9/1 पीली कालोनी, जूही, कानपुर–208014 से प्रकाशित किया।